# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या 97 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025 / 168

1. कन्हैयालाल पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी छापेडा मोडक स्टेशन तहसील चेचट जिला कोटा
2. घनश्याम पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी छापेडा मोडक स्टेशन तहसील चेचट जिला कोटा
3. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी छापेडा मोडक स्टेशन तहसील चेचट जिला कोटा हाल निवास दादावाडी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. नारायण पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ निवासी छापेडा मोडक स्टेशन तहसील चेचट जिला कोटा हाल निवास राजमन्दिर के पास, ग्राम जुल्मी (प्रहलाद नागर का मकान) तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश लोधा, अभिभाषक अपीलांट

## *निर्णय*

दिनांक—17.03.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 29.09.2025 को आदेश पारित किया है कि—" प्रार्थी के तीनों पुत्र अपने पिता को रू0 1000/— , 1000/— प्रत्येक भरण पोषण हेतु पिता नारायण के खाते में जमा करवायेंगे एवं दोनों समय खाना, पीना, बीमार होने पर इलाज करवायेंगे व वृद्व पिता से किसी प्रकार की अभद्रता लडाई झगडा न तो वे खुद, करेंगे और ना ही अप्रार्थीगण की पत्नियां करेंगे । अप्रार्थीगण की पत्नियां प्रार्थी नारायण से सदाचार से पेश आयेंगे ।"
2. अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 29.09.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.10.2025 को जरिये अभिभाषक मुकेश लोधा के पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाने हेतु अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।
3. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी 90 वर्ष का बजुर्ग है प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी छापेडा मोडक स्टेशन में निवास करते है । प्रार्थी के तीन पुत्र व एक पुत्री है पुत्रों व पुत्री की शादी कर दी गई है । पुत्री अपने सासुराल में निवास कर रही है तथा पुत्र प्रार्थी से अलग अपने परिवार सहित निवास कर रहे है । प्रार्थी के द्वारा अपने तीनों पुत्रों का बंटवारा कर दिया गया है तीनों पुत्रों को 8—8 बीघा जमीन दे दी गई है । तीनों पुत्र अपनी अपनी जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रार्थी की पत्नी अक्सर बीमार रहती है उसकी देख रेख कोई भी पुत्र नहीं करता है तथा इलाज नहीं करवाता है । जब प्रार्थी के द्वारा अपने तीनों पुत्रों को खाने पीने व बीमारी में इलाज कराने की कहते है तो एक दुसरे पर टालते रहते है । प्रार्थी के साथ तीनों पुत्र लडाई झगडा करते है तथा घर से निकलने के लिये कहते है । प्रत्येक अपीलान्ट से 5000—5000 इलाज कपडे खाने पीने के लिये भरण पोषण की अधीनस्थ न्यायालय से मांग की गई ।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से भी रिपोर्ट ली गई । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.9.2025 अनुसार ग्राम उदपुरा के खसरा नम्बर 244 में बने पुश्तैनी मकान में प्रार्थी निवास करता है । वादी की पत्नी की मृत्यु लगभग दो माह पूर्व हो चुकी है । पुत्री कैलाशीबाई वर्तमान में पिता नारायण के साथ रह रही है । सरकारी पेंशन की सुविधा मिल रही है । राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम उदपुरा में खसरा नं0 513/245 रकबा 0.12 हे0 खातेदार नारायण पुत्र किशनलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.9.2025 पर भी कोई कगौर नहीं किया गया है ।

5. अपीलांट ने आगे अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी कर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कोई गोर नहीं किया गकया है तथा अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दिये गये बयानों की अनदेखी कर तथा दोराने बहस अधीनसथ न्यायालय उपस्थित रेस्पोडेन्ट नारायण के द्वारा खुले न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा दिये गये 6,00,000/– रू0 उसके पास होने की स्वीकारोक्ति की गई, उक्त तथ्य पर भी कोई गौर नहीं कर, अपीलान्ट के विरूद्व आदेश दिनांक 29.9.2025 पारित करने में कानूनी भूल की है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2025 निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.9.2025 विधि में वर्णित सिद्वान्तों के अनदेखी की गई है, अपीलान्टगण के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य लेखबद्व किये जाने के बावजूद भी निर्णय / आदेश में कोई कथन वर्णित नहीं किया गया है और ना ही अपीलान्ट के द्वारा दिये गये रेस्पो0 को 6,00,000/– रू0 का कथन वर्णित है, तथा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी आदेश दिनांक 29.9.2025 में किसी तरह का कोई कथन वर्णित नहीं है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की अनदेखी कर तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.9.2025 की अनदेखी कर तथा रेस्पोडेन्ट वर्तमान में मोटरसाईकिल चलाता है, मोडक से रामगंजमण्डी आता जाता है तथा अपनी आराजी ग्राम उदपुरा में खसरा नं0 513/245 रकबा 0.12 हे0 में काश्त करता है तथा रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपनी पुत्री कैलाशीबाई के हक में दान पत्र के द्वारा अपने हिस्से की आराजी के द्वारा अपनी पुत्री कैलाशीबाई के हक में दान पत्र के द्वारा अपने हिस्से की आराजी जिसका वर्णन पटवारी रिपोर्ट में वर्णित है, खाता संख्या 34 किता 2 की कुल रकबा 0.16 हे0 दान कर दी है । प्रत्येक अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट को बंटवारा आराजी के समय कर्ज लेकर 2,00,000/–, कुल 6,00,000/– रू0 दिये गये थे, उक्त राशि के अलावा रेस्पोडेन्ट को 1500/– माहवार वृद्वावस्था पेंशन मिल रही है । अपीलान्ट कम 1 व 2 के द्वारा कर्ज लेकर 2,000,000/– + 2,00,000/– रेस्पोडेन्ट को दिये थे, उक्त राशि आज भी नहीं चुका पाये है, जबकि रेस्पोडेन्ट अपनी पुत्री कैलाशीबाई के साथ ग्राम मोडक में अच्छी जिन्दगी जी रहे है । अपीलान्ट के द्वारा उनकी माता का देहान्त होने के बाद समस्त किया कर्म व मृत्यु उपरान्त के समस्त कार्यकम भी अपीलान्ट के द्वारा किये गये है । समस्त खर्चा भी अपीलान्ट के द्वारा वहन किया गया है ।

6. वकील अपीलान्ट ने आगे यह भी कथन कियाहै कि रेस्पोडेन्ट को भरण पोषण राशि की आवश्यकता नहीं है । मात्र रेस्पोडेन्ट की पुत्री कैलाशीबाई लालची किस्म की महिला है, जिसके द्वारा ही उक्त झूंठा केस अपीलान्ट के विरूद्व करवाया गया है तथा रेस्पोडेन्ट की पुत्री कैलाशीबाई रेस्पोडेन्ट की आराजी व 6,00,000/– का उपयोग उपभोग कर रही है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को अलग कर दिया गया है तथा अपीलान्ट के द्वारा कई बार बहिन कैलाशीबाई ने अपनी ससुराल जाने से इन्कार कर दिया । अपीलाधीन आदेश के बाद कैलाशीबाई रेस्पोडेन्ट के मकान पर ताला लगाकर, रेस्पोडेन्ट का सारा सामान पिकअप गाडी में भरकर तथा अपीलान्ट की माता के समस्त सोने चांदी के सामान कीमती 10–15 लाख रू0 के लेकर ग्राम जुल्मी तहसील

रामगंजमण्डी चली गई है । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । अतः अपील अपीलांट उपरोक्त कारणों से स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.9.2025 निरस्त फरमाया जावें ।

7. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी आदेश दिनांक 29.09.2025 की अप्रसन्नता में इस न्यायालय में दिनांक 30.10.2025 को पेश की गई है जो अन्दर अवधि 60 दिवस में है । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली के आद्योपांत अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नारायण के खाते की आराजी का बंटवारा हेतु अप्रार्थी अपीलांटगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में किया गया था, जिसमें राजीनामा हो जाने से अपीलांटगण की बहिन कैलाशी बाई ने अपना हक त्याग करने उपरान्त खातेदार अपने तीनों पुत्रों वादीगण घनश्याम, प्रतिवादी कन्हैयालाल व प्रहलाद से प्रत्येक से दो दो लाख रूपये प्राप्त कर उनके पक्ष में नियमानुसार 1/3, 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री करवा देंगे । इस राजीनामें के आधार पर प्रत्येक पुत्र का प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने 8–8 बीघा जमीन देकर बंटवारा कर दिया गया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नारायण के बयानों से सिद्ध होती है किन्तु प्रत्येक अपीलांट से दो–दो लाख रूपये रेस्पोडेन्ट ने प्राप्त किये है यह अपने बयान दिनांक 18.3.2025 में कथन नहीं किया है ओर ना ही प्रत्येक अपीलांट पुत्र से 2–2 लाख कुल 6,00,000/– रूपये प्राप्त करने का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अधीनस्थन न्यायालय में पेश किये है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वृद्ध है तथा तीनों पुत्रों में भूमि का बंटवारा कर दिया है, किन्तु अप्रार्थीगण अपीलांट प्रार्थी के भरण पोषण एवं देखभाल नहीं करने से तथा लड़ाई झगड़ा करने व अभद्रता करने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रत्येक अप्रार्थी अपीलांट से रूपये 1000/–1000/– मासिक बतौर भरण पोषण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये बैंक खाते में अदा करने के आदेश पारित किया है, 1000/– एक हजार रूपये कोई अधिक राशि भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है । वैसे भी यह अधिनियम माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

9. परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.03.2025 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 17.3.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा